।। कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी ।।

विज्ञप्ति ।

संख्याः— 661 / सात—38(2014—15) / विज्ञप्ति—2016, दिनांक, नई टिहरी, मार्च, 11, 2016

शासनादेश संख्या—1754 / XVIII(1)/ 2015-03(3)/2014 T.C.-1 दिनांक 19.12.2015 के प्रस्तर—2 द्वारा राजस्व उपनिरीक्षक(पटवारी) प्रशिक्षण(सीधी भर्ती) में चयन के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु नियत अवधि(दिनांक 15.02.2016 से 15.03.2016 तक) के कम में जनपद टिहरी गढ़वाल में दिनांक 15.02.2016 से दिनांक 18.02.2016 तक शारीरिक दक्षता परीक्षण में उपस्थित होने हेतु पंजीकृत डाक से प्रवेश पत्र प्रेषित किये गये । शारीरिक दक्षता परीक्षण में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा पर्वतीय मूल का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया । शासनादेश संख्या—221 / XVIII(1)/2016-0(36)/2015 दिनांक 19.02.2016 एवं शासनादेश संख्या—221(2) / XVIII(1)/2016-03(36)/2015 दिनांक 25.02.2016 में दिये गये निर्देशों के कम में ऐसे अभ्यर्थियों, जो शारीरिक दक्षता परीक्षण तिथि को पर्वतीय मूल का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाये हों, को शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रतिभाग किये जाने के लिए अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए नियत **अन्तिम तिथि 15.03.2016 को प्रातः 8:00 बजे स्थान—बहुउद्देशीय सभागार, विकास भवन, निकट मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, टिहरी गढ़वाल नई टिहरी में शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु** इस प्रतिबन्ध के साथ आमंत्रित किया जाता है कि वे दिनांक 15.03.2016 तक पर्वतीय क्षेत्र निवासी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति अनिवार्य रूप से शारीरिक दक्षता चयन समिति / जिलाधिकारी कार्यालय(भूलेख अधिष्ठान) टिहरी गढ़वाल नई टिहरी में प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक पर्वतीय क्षेत्र निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता में छूट अनुमन्य नहीं होगी ।

इसके अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी, जो अपरिहार्य कारणों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाये हों, तथा ऐसे अभ्यर्थी, जो कतिपय कारणों से शारीरिक दक्षता तिथि को वांछित अभिलेख(यथा वैध आरक्षण / सेवायोजन पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र आदि) प्रस्तुत न किये जाने के फलस्वरूप, अनुमन्य छूट का लाभ नहीं ले पायें हो, को भी शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रतिभाग किये जाने के लिए दिनांक 15.03.2016 को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ आमंत्रित किया जाता है कि वे दिनांक 15.03.2016 तक वांछित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति अनिवार्य रूप से शारीरिक दक्षता चयन समिति / जिलाधिकारी कार्यालय(भूलेख अधिष्ठान) टिहरी गढ़वाल में प्रस्तुत करेंगे। उक्त हेतु पृथक से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किये जा रहे हैं । शासनादेश दिनांक 19.12.2016 के द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षण की अन्तिम तिथि 15.03.2016 को नियत होने के कारण उक्त तिथि के पश्चात् किसी अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा एवं इसके पश्चात् किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा । उक्त विज्ञप्ति जनपद की बेवसाइट **www.tehri.nic.in** पर भी उपलब्ध हैं ।

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।